

FORM-II **(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

No

Dated

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 8.931 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **ID RES PMGSY, PIU-II, Kapot Bageshwar, UTTARAKHAND** for Construction of **FARSALI TO KHARKUKANA TOLI Motor Road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Sirasu** village (s) in **Kapkot** tehsils.

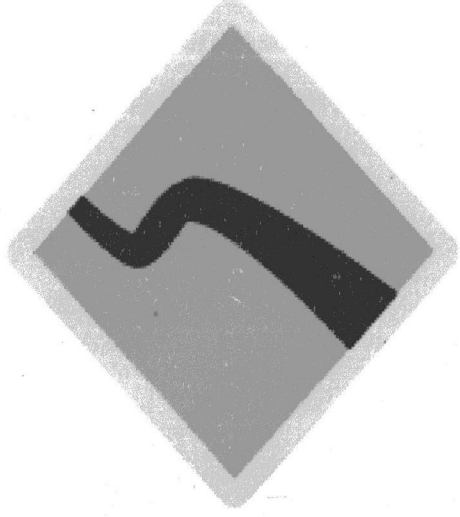
It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire road 8.931 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

RES, PMGSY, PIU-II, KAPKOT, BAGESHWAR



PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA
(WORLD BANK FUNDED)

FOREST PROPOSAL

PACKAGE NO	:-	UT-
NAME OF DISTT	:-	BAGESHWAR
NAME OF BLOCK	:-	KAPKOT
NAME OF ROAD	:-	FARSALI TO KHARKUKANA TOLI
TOTAL ROAD LENGTH	:-	MOTOR ROAD
RESERVE FOREST	:-	11.675 KM.
VAN PANCHAYAT LAND	:-	NIL HECT.
CIVIL SOYAM LAND	:-	1.184 HECT.
PRIVATE LAND	:-	7.747 HECT.
	:-	2.692 HECT.

EXECUTIVE AGENCY	:-	RES, PMGSY, PIU-II, KAPKOT, BAGESHWAR
NODAL DEPARTMENT,	:-	RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT,
NODAL AGENCY	:-	UTTRAKHAND RURAL ROAD DEVELOPMENT AGENCY

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन

भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

प्राप्त-1

Mr. Mahim Kumar Joshi son of late Puran Chandra Joshi is here by authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Motor Roads of the R.E.S., P.M.G.S.Y., Kapkot distt. Bageshwar on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Girish Chandra Kholiya. Executive Engineer Girish Chandra Kholia


Signature
Name and seal of the competent
Authority

भाग-I (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव - /परियोजना/स्कीम का सक्षिप्त विवरण।

(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। (ग) परियोजना की लागत। (घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। (ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) (च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत फरसाली से खर्कुका तोली (11.675 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। :- संलग्न है। :- लाख :- अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना। :- संलग्न है। :- मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।
--	--
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

वन पंचायत भूमि मलवा निस्तारण हेतु वन पंचायत भूमि सिविल सोयम भूमि मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि योग	:- 1.008 हे० :- 0.176 हे० :- 6.804 हे० :- 0.943 हे० :- 8.931 हे०
--	---
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

(क) परिवारों की संख्या (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के (ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	:- लागू नहीं है। :- शून्य :- शून्य :- शून्य
--	---
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक

स्थान बागेश्वर

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम-

रुमिल कुमार ब्राह्मण

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत फरसाली से खर्कुका ना तोली (11.675 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-2

(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति
 - i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र
 - ii) जिला
 - iii) जिला वन प्रभाग
 - iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
8. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:
9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
 - (i) वन का प्रकार
 - (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व
 - (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना
 - (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा
10. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण
11. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :
12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
 - (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :
 - (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यारे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)
 - (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यारे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)

फरसाली से खर्कुका ना :-
 तोली (11.675 कि०मी०)
 उत्तराखण्ड :-
 बागेश्वर :-
 बागेश्वर वन प्रभाग :-
 8.931 हे० :-

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्सवास आदि पूर्वक्षेपण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

14. पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की :
युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा-6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लि

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश कि

15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लि

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत :
संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिख्य :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित :
महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट :
सिफारिशों

दिनांक.....

हस्ताक्षर

स्थान.....

नाम

सरकारी मोहर

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत फरसाली से खर्कुकाना तोली (11.675 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-III

- 19 क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन :-
संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेशण की तारीख संलग्न की जाय।
- 20 क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन :-
संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
- 21 विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए :-
वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

हस्ताक्षर:-

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

तिथि.....

स्थान.....

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

1 A proposal has been received by this office from Executive Engineer, **RES, PMGSY, PIU-II, KAPKOT, BAGESHWAR** for diversion under FCA-1980) of **8.931** ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for **construction of FARSALI TO KHARKUKANA TOLI Motor Road**. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.....

2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring **8.931** ha.

3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature)

Place:-.....

Name.....

Designation.....

Office Seal

Date.....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

परियोजना का नाम	:- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली से खर्कुका ना तोली (11.675 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

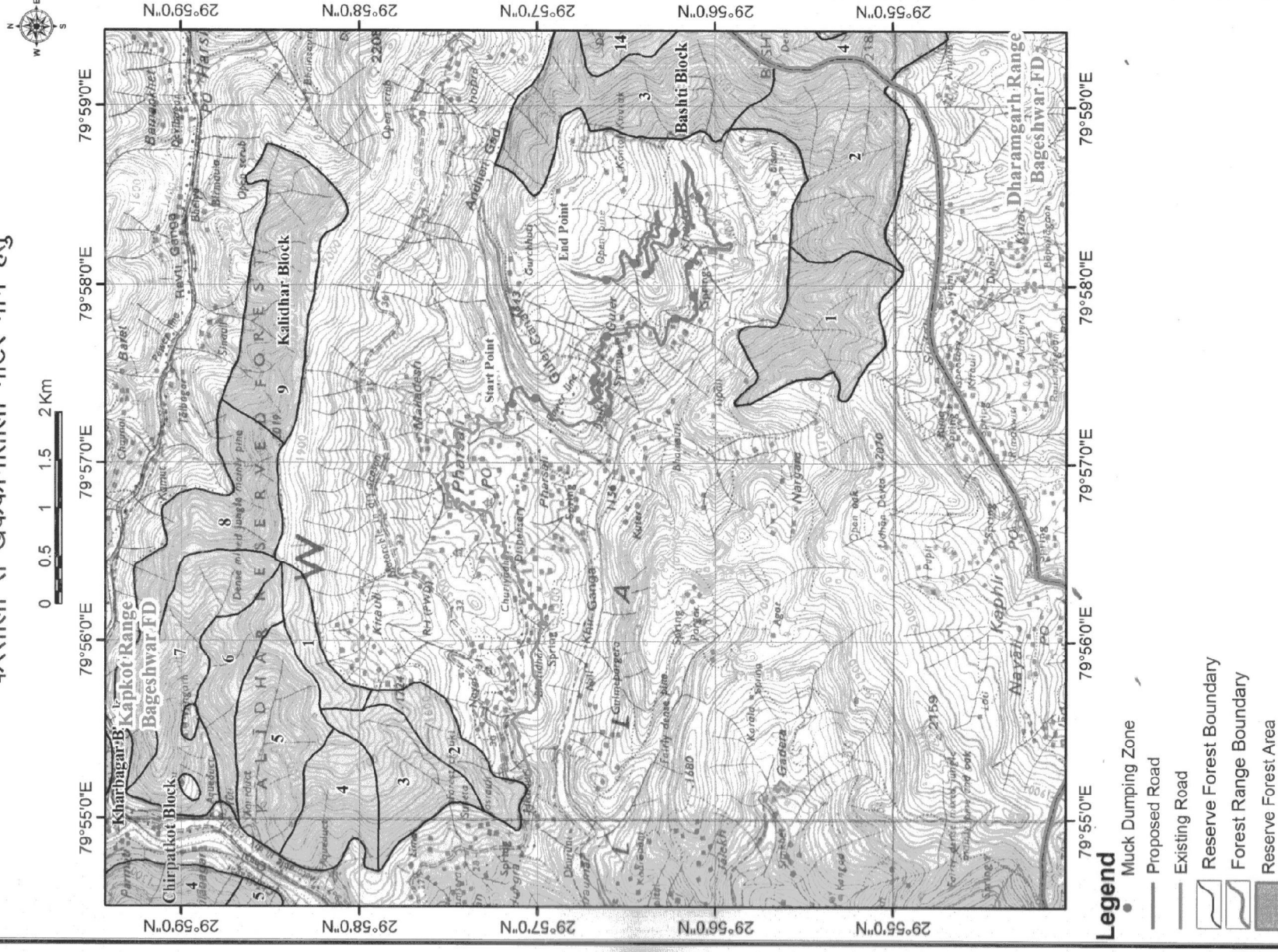
प्रस्तावित परियोजना को सर्वे आफ इण्डिया 1:50,000 के पैमाने की टोपोगीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से, नाप भूमि को अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखणों को अन्य रंग से दर्शाया गया है।


कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा० अभि० सेवा विभाग
पी० आई० यू०-११, पी०एम०जी०एस०वाई
बागेश्वर,


सहायक अभियन्ता
ग्रा० अभि० सेवा विभाग
पी० आई० यू०-११, पी०एम०जी०एस०वाई
बागेश्वर,

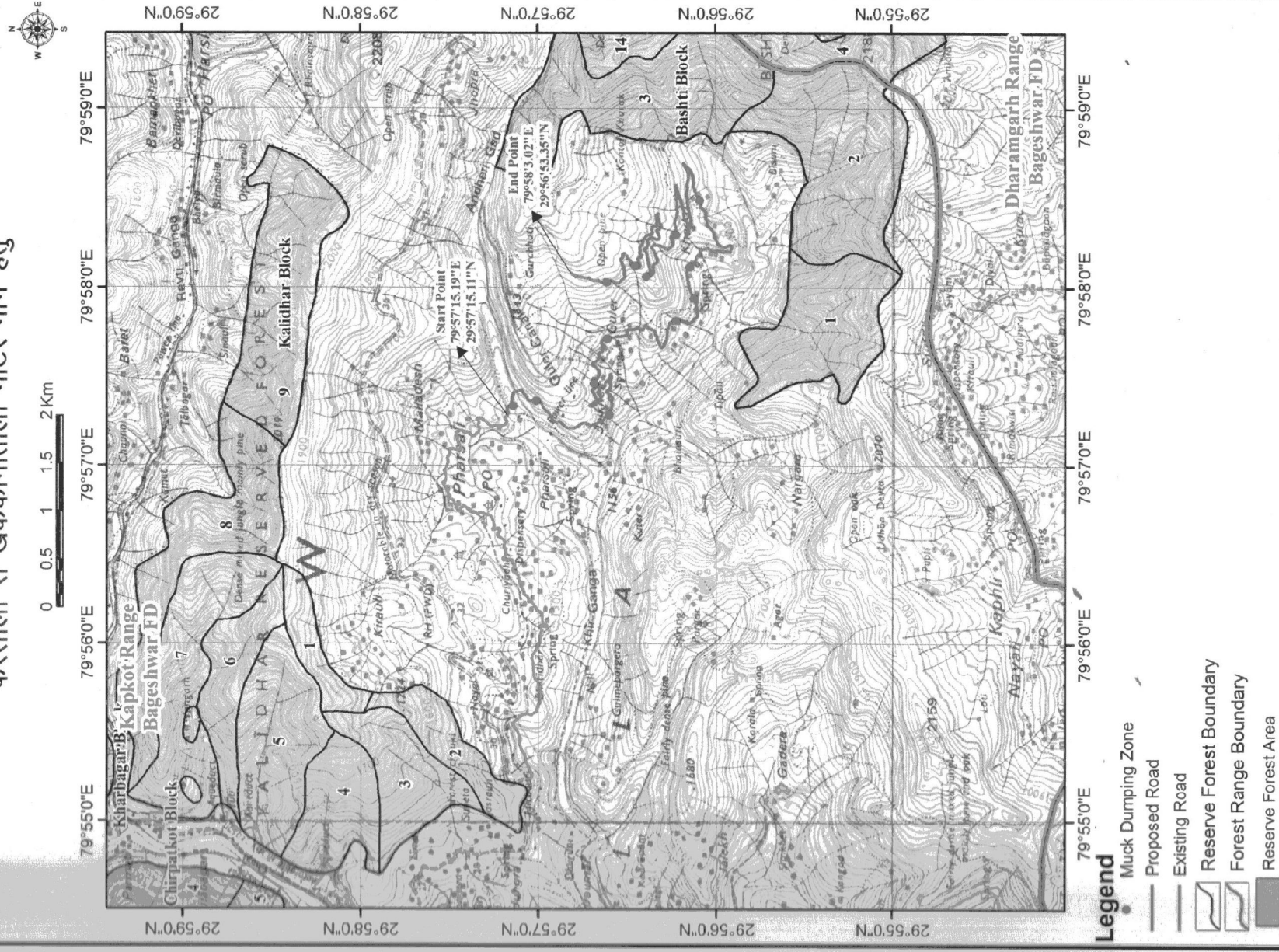

अधिसूची अभियन्ता
ग्रा० अभि० सेवा विभाग
पी० आई० यू०-११, पी०एम०जी०एस०वाई
बागेश्वर,

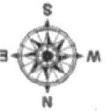
डिजिटल मैप :- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित फेरसाली से खर्ककानातौली मोटर मार्ग हेतु



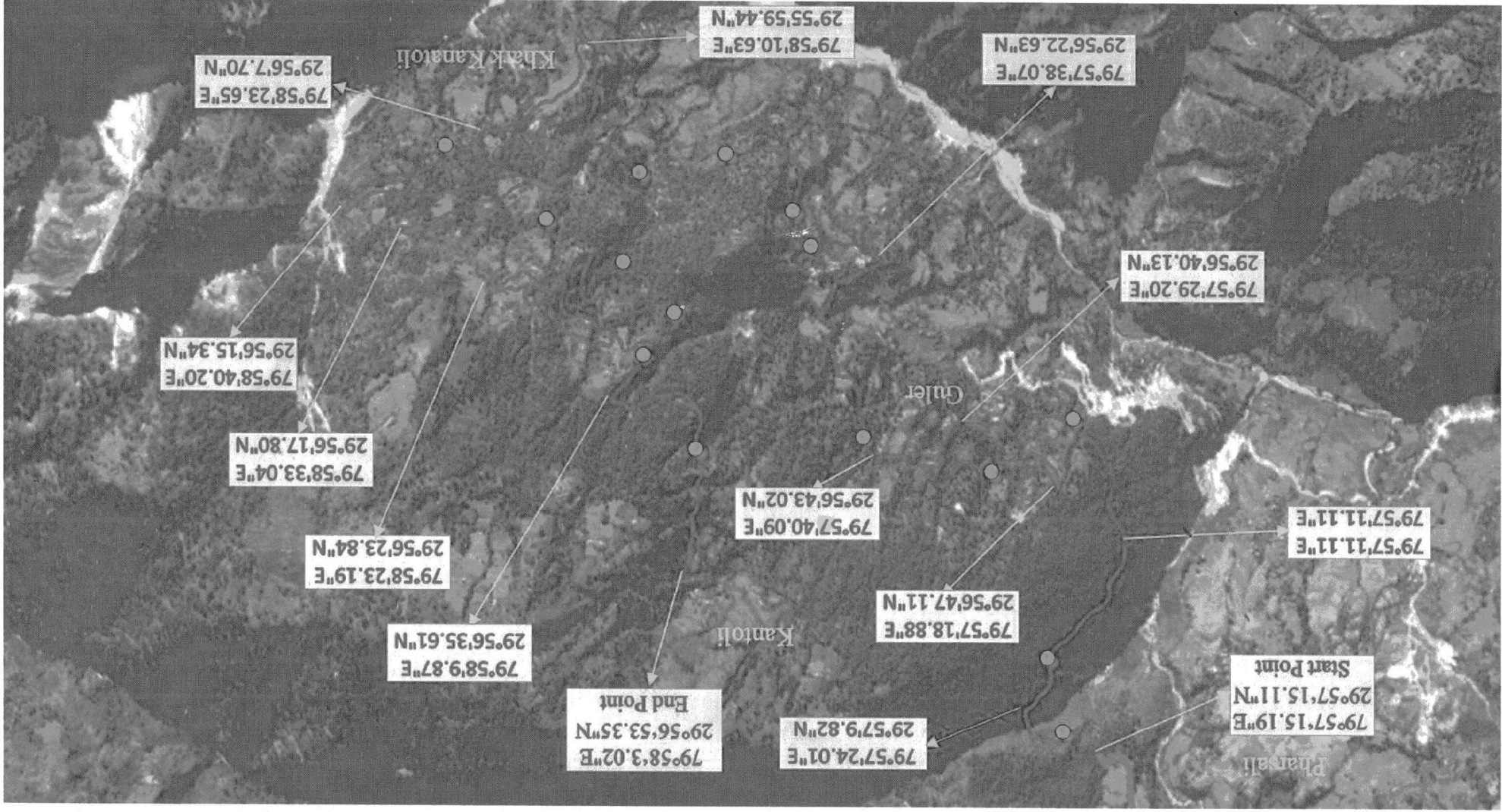
 AAI
 MAB
 PAB
 JAB
 SJB
 जल संवर्धन विभाग, बागेश्वर

डिजिटल मैप :- जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित फरसाली से खर्ककानातौली मोटर मार्ग हेतु

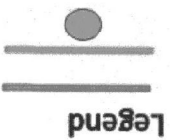
[illegible]



प्रश्न-10
 ग्राहल भूप :- खनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली से खर्कानातोली मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखण ।



Proposed Road
 Existing Road
 Muck Dumping



Legend

MS

ARE

MS

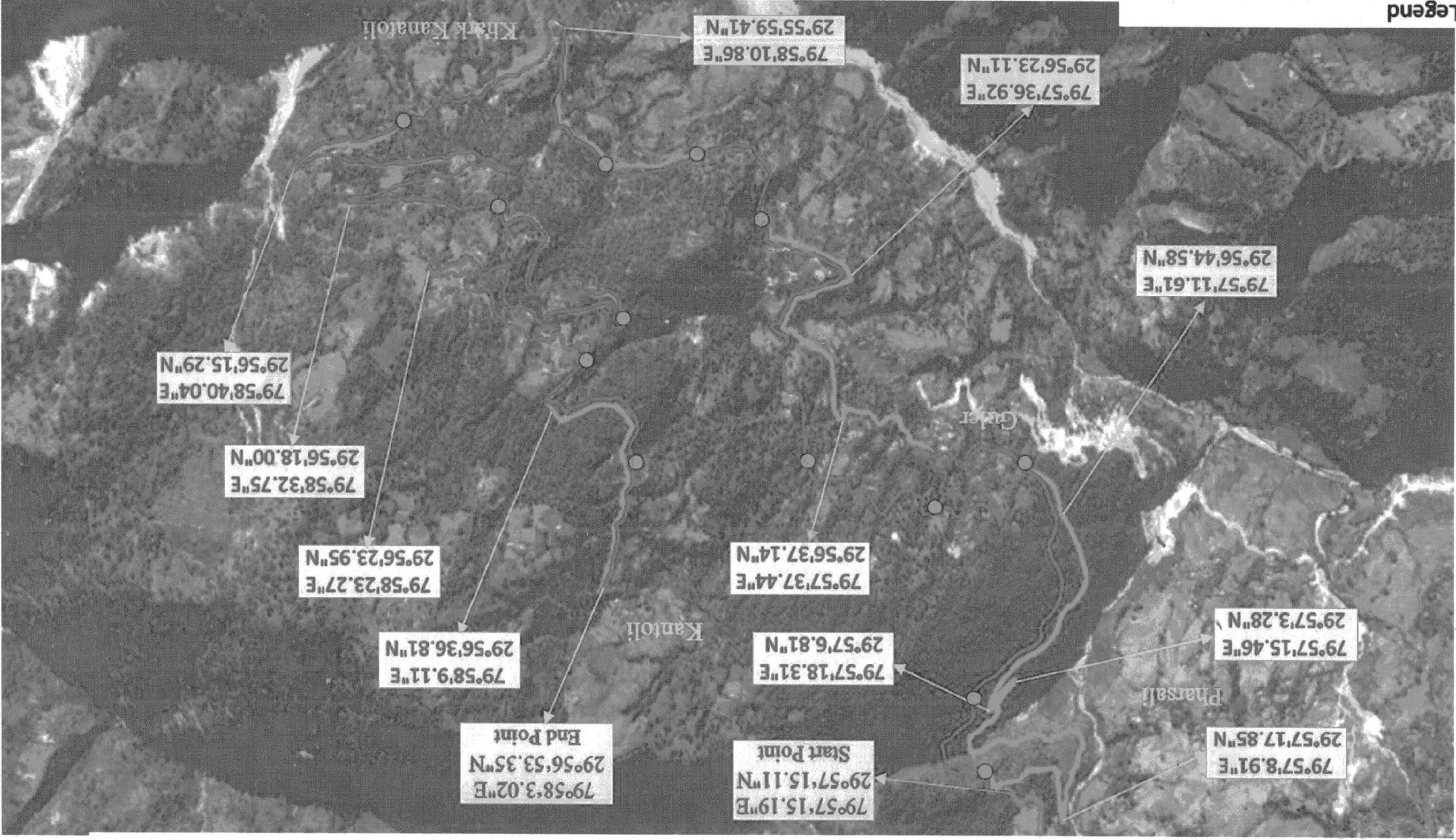
MS

MS

h.1



प्रपत्र-12
 गाँव में :- जगद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फरसाली से खर्कानावाली मोटर मार्ग हेतु वैकल्पिक समरेखण।



Handwritten notes and signatures at the top of the page, including a signature on the left and a stamp on the right.

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No

Dated

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **8.931** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **RES PMGSY, PIU-II, Kapot Bageshwar, UTTARAKHAND** for Construction of **FARSALI TO KHARKUKANA TOLI Motor Road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Sirasu** village (s) in **Kapkot** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **8.931** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure...
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoerrmmnt as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)